<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर</u>

(उपस्थितः– कुमार गुंजन, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर)

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 959 / 2026</u>

(खगौल थाना कांड संख्या– 391 / 2025)

ओबैदुर रहमान, पिता– फैजुर रहमान, निवासीः मधैपुर, थाना– मधैपुर, जिला– पटना।

.... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री उपेंद्र उज्जवल, (अधिवक्ता)

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री रामकेश्वर प्रसाद (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

<u>आदेश</u>

<u>24.06.2026</u> खगौल थाना कांड संख्या– 391 / 2025, जो भा0न्या0सं0 की धारा 96 से संबंधित है, की अभियुक्त की ओर से इस काण्ड में उनकी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

काण्ड के सूचक सत्येंद्र कुमार, के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से इस प्रकार है कि आवेदक की लगभग 19 वर्षीय पुत्री दिनांक 11.11. 2025 को घर से बिना बताए चला गई थी। काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। वह एक युवक रहमान के सम्पर्क में थी। घर से जाते समय वह लगभग 10,000 रूपये नगद एवं कुछ सोने के आभूषण भी साथ ले गई थी। इस संबंध में गुमशुदगी / अपहरण का आरोप है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, याचिकाकर्ता निर्दोष है। कथित पीड़िता बालिग है तथा दोनों के बीच फेसबुक के माध्यम से प्रेम संबंध स्थापित हुआ था। वह अपनी स्वेच्छा से याचिकाकर्ता के साथ गई थी और किसी प्रकार का अपहरण या प्रलोभन नहीं दिया गया था। पीड़िता ने स्वयं न्यायालय में सूचनात्मक याचिका दाखिल कर अपनी स्वच्छा से याचिकाकर्ता के साथ जाने की बात कही है। दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया है तथा वर्तमान में पति–पत्नी के रूप में रह रहे हैं। वर्तमान मामला दोनों के भिन्न धर्मों से संबंधित होने के कारण पारिवारिक विरोधवश दर्ज कराया गया है। पीड़िता बालिग एवं अपने निर्णय लेने में सक्षम है, अतः आरोपित अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं। याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। पीड़िता का भा0ना0सु0सं0 की धारा 183 के अंतर्गत बयान दर्ज कराया गया है, जिसकी छायाप्रति मूल अभिलेख के

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर

(उपस्थितः— कुमार गुंजन, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, दानापुर)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या— 959 / 2026

(खगौल थाना कांड संख्या— 391 / 2025)

साथ उपलब्ध है। पीडिता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक से बातचीत करने की वजह से घरवालों के साथ उसका झगड़ा हो गया एवं उनके माता—पिताजी ने उसको डांट फटकार दिया, जिस वजह से वह अकेले ही निकलकर प्रयागराज चली गयी, जहां से दिल्ली होते हुए वह वापस आई है। पीड़िता को इस बयान में 19 वर्ष का व्यस्क पाया गया है। उसका माध्यमिक विद्यालय के अंक पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है, जिसके मुताबिक पीड़िता की जन्मतिथि 09.11.2006 है। इस प्रकार पीड़िता घटना के दिन व्यस्क थी। अतः प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः अभियुक्त / आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर दस हजार के दो स्थानीय प्रतिभुओं से समर्थित बंध पत्र एवं दं0प्र0सं0 की धारा 438(2) में उपबन्धित शर्तों के अनुपालन के लिए वचन पत्र दिये जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

लेखापित

Sd/-

(कुमार गुंजन)

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

व्यवहार न्यायालय, दानापुर

(24.06.2026)